भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 225

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे

†225. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के कितने कारागारों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या देश के सभी कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित हैं;

(ग) क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सी.सी.टी.वी. कैमरे से संबंधित सभी उपस्करों को समय-समय पर उद्यतन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है। एनसीआरबी की नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश की 808 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।

(ख): दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न कारागारों में लगाए गए सीसीटीवी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग) और (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' राज्य का विषय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सीसीटीवी निगरानी प्रणालियों आदि से संबंधित उपस्करों को लगाने, उनके अनुरक्षण तथा रख-रखाव सहित कारागारों के प्रशासन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है, जो आवश्यकतानुसार, समय-समय पर इन उपस्करों का अनुरक्षण करने और उनको अपग्रेड करने में सक्षम हैं।

*****

लो.स. अता. प्र.सं. 225

दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कारागारों में लगाए गए सीसीटीवी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीसीटीवी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	258
2	अरुणाचल प्रदेश	58
3	असम	200
4	बिहार	1044
5	छत्तीसगढ़	1612
6	गोवा	17
7	गुजरात	2314
8	हरियाणा	552
9	हिमाचल प्रदेश	366
10	जम्मू और कश्मीर @	1005
11	झारखंड	1274
12	कर्नाटक	928
13	केरल	826
14	मध्य प्रदेश	592
15	महाराष्ट्र	1580
16	मणिपुर	36
17	मेघालय	74
18	मिजोरम	0
19	नागालैंड	11
20	ओडिशा	1520
21	पंजाब	879
22	राजस्थान	1529
23	सिक्किम	2
24	तमिलनाडु	67
25	तेलंगाना	1061
26	त्रिपुरा	139
27	उत्तर प्रदेश	2757
28	उत्तराखंड	77
29	पश्चिम बंगाल#	280
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8
31	चंडीगढ़	157
32	दादरा और नगर हवेली*	25
33	दमण और दीव *	70
34	दिल्ली	1130
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	8
	कुल	**22456**

@ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख अब संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये दोनों संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समेकित आंकड़े हैं।

* दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विलय कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल से वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2017 हेतु उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

*****